झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–121 / 2019

रॉबर्ट प्रभात मिंज .....याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य
2. उपायुक्त, रांची
3. सचिव, आवास एवं शहरी विकास विभाग, रांची
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रांची .....उत्तरदातागण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री ए0 खान, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए : श्री अतनू बनर्जी, सीनियर एस0सी0–III

आदेश संख्या 03ः दिनांक 13 सितंबर, 2019

वर्तमान सिविल विविध याचिका डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1354 / 2017 की पुनःस्थापन हेतु दायर की गई है, जिसे दिनांक 05.02.2019 के आदेश का पालन न करने के कारण दिनांक 12.02.2019 को खारिज कर दिया गया है।

श्री ए0 खान, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दस्तावेज की नई प्रति दाखिल करने से संबंधित दोष के लिए, अनजाने में याचिकाकर्त्ता ने टाइप की गई प्रति दी है, और इसलिए अनुल्लंघनीय आदेश का पालन न करने के कारण, रिट याचिका खारिज हो गई, अब चूंकि दोषों को हटा दिया गया है, इसलिए, रिट याचिका को उसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जा सकता है अन्यथा याचिकाकर्त्ता को अपूरणीय क्षति और हानि होगीं

उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता, इस तरह के सबमिशन पर आपत्ति किए बिना निवेदन किया कि उचित आदेश पारित किया जा सकता है।

इस न्यायालय ने, पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के उपर्युक्त निवेदनों पर विचार करने के बाद डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1354 / 2017 को इसके मूल फाइल में पुनःस्थापित, इस याचिका में की गई प्रार्थना को अनुमति देने के लिए इसे उचित एवं सही मानते हैं।

सिविल विविध याचिका का निपटारा किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)